न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 36/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुधीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी, निवासी प्लाट नं. 9, श्रीरामपुरी कालोनी, निवारु रोड झोटवाडा जयपुर।
2. मैसर्स बालाजी टेलीकोम, प्लाट नं. 9 श्रीरामपुरी कालोनी, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

ब) मुकेश कुमार यादव अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी सुधीन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 23.02.2010 को शिकायत की जांच हेतु मैसर्स बालाजी टेलीकोम पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (1एचपीसी+1आईओसी+2बीपीसी), 14 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर मय कुल गैस 28.700 किग्रा. व 6 पीतल की बांसुरी जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 23.03.2010 को अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार यादव ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 23.02.2010 को जब्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (1एचपीसी+1आईओसी+2बीपीसी), 14 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर मय कुल गैस 28.700 किग्रा. व 6 पीतल की बांसुरी द्वारा अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। दौराने जांच अप्रार्थी संख्या 1 ने घरेलू सिलेण्डर से बांसुरी की सहायता से गैस निकालकर छोटे सिलेण्डर में भरकर बेचने का कार्य करना स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (1एचपीसी+1आईओसी+2बीपीसी), 14 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर्स मय गैस 28.700 किग्रा. व 6 पीतल की बांसुरी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

Addl. District Magistrate